न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
वाद संख्या–184/2009

1. मंगली देवी पत्नि हरसहाय (फौत)
1/1 रामकिशन पिसरान हरसहाय
1/2 गिरिराज पिसरान हरसहाय
1/3 जगदीश पिसरान हरसहाय
1/4 कमल पिसरान हरसहाय जाति मीणा निवासी गुल्लाना तह0 बसवा
1/5 मु0 लड्डो पत्नि भगवान सहाय पुत्री हरसहाय जाति मीणा निवासी फुलेला तह0 बसवा।
1/6 श्रीमती सोमा पत्नि बद्रीप्रसाद पुत्री हरसहाय जाति मीणा निवासी महुआ तह0 मालाखेडा।

—: वादीगण

बनाम

1. सम्पति पत्नि जंगली (फौत)
2. मांगीलाल पुत्र जंगली जाति मीणा निवासी गुल्लाना तह0 बसवा।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बसवां
4. उप पंजीयक अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय तह0 बसवा।

—: प्रतिवादीगण

<u>दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

दिनांक निर्णय–19.03.2018

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादी मंगली देवी पत्नि हरसहाय जाति मीणा निवासी गुल्लाना तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 23.11.2009 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार ग्राम गुल्लाना तह0 बसवा जिला दौसा में खतौनी संख्या नई 185 पुरानी 211 का ख0 नं0 463 रकबा 0.12 है0 चाही एक, ख0 नं0 464 रकबा 0.65 है0 चाही एक, ख0 नं0 465 रकबा 0.10 है0 बंजड, ख0 नं0 466 रकबा 0.64 है0 चाही एक, ख0 नं0 467 रकबा 0.09

19/3/18
उप खंड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

ऐयर गैर मुमकिन चाह, ख0 नं0 468 रकबा 0.85 है0 चाही एक, ख0 नं0 469 रकबा 0.10 है0 बारानी एक कुल किता 7 कुल रकबा 2.55 है0 लागानी 94 रूपये 6 पैसे स्थित है जिसे आगे चलकर भुमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

भूमि मुतदाविया की वर्तमान में खातेदारी वादिया एवं प्रतिवादी नम्बर एक व दो के नाम चली आ रही है जो सम्मिलित में ही चली आ रही है वादिया का 75/182 वॉ हिस्सा है बाकी प्रतिवादीगण नम्बर एक व दो का है।

भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा नही हुआ है सम्मिलित खातेदारी में है मौके पर मन समाई से बॉटकर काश्त करते चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है लेकिन पक्षकारान में लगान जमा कराते समय, फसल बोते व काटते समय विवाद हो जाता है और कोई भी पक्ष एक दुसरे की सहमति के बिना राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता भी प्राप्त नही कर सकता है और न अपने हिस्से पर आधुनिक उपकरण लगाकर भूमि मुतदाविया को उपजाउ ही बना सकता है ऐसी सूरत में वादिया भूमि मुतदाविया का सरस नरस के हिसाब से तकास्मा करवाकर अपना 75/182 वें हिस्से का अलग चक व अलग खाता कायम करवाने की अधिकारिणी है एवं लगान का भी इसी कदर बंटवारा कराया जाकर अलग अलग पास बुक जारी करवाये जाने का अधिकारी है।

भूमि मुतदाविया ख0 नं0 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 कुल किता 7 कुल रकबा 2.55 है0 स्थित ग्राम गुल्लाना तह0 बसवा जिला दौसा का सरस नरस के हिसाब से तकास्मा किया जाकर वादिया का 75/182 वॉ हिस्से का अलग चक व अलग खाता कायम किया जावे एवं लगान का भी इसी कदर बंटवारा किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावे।

प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द किया जावे कि भूमि विवादग्रस्त खतौनी संख्या नई 185 पुरानी 211 का ख0 नं0 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 कुल किता 7 कुल रकबा 2.55 है0 स्थित ग्राम गुल्लाना तह0 बसवा जिला दौसा पर बिना तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम हुये बगैर बैक आदि के यहॉ गिरवी रखकर लोन उठाने की कोशिश करने से एवं प्रतिवादी नम्बर 3 प्रतिवादीगण नम्बर एक व दो द्वारा पेश किये गये किसी भी रहननामें पर अपनी अनुशंसा करने से स्वयं या अपने अधिनिस्थ

19/7/14

... खण्ड अधिकारी

कर्मचारियों के दवामी तौर पर प्रतिबंधित रहें एवं प्रतिवादीगण नम्बर एक व दो भूमि मुतदाविया की बाबत किसी भी प्रकार का लोन उठाने की कोशिश न करें।

पत्रावली दिनांक 18.01.18 को न्यायालय में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण से प्रकरण में तकास्मा कराने पर चर्चा की गई। दोनो पक्ष प्राथमिक डिक्री करने पर तैयार हुए। वकील पक्षकारान भी प्राथमिक से कोई एतराज नही होना बताया।

अतः पक्षकारान की सहमति अनुसार दावा वादीगण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार बसवा को आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी ख0 नं0 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 कुल किता 7 कुल रकबा 2.55 है0 स्थित ग्राम गुल्लाना तह0 बसवा का समस्त पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस (Neets and Bounds) व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा निम्न प्रकार कुर्रेजात प्रस्तुत किये।

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
रामकिशन, गिरिराज, जगदीश, कमल पि0 हरसहाय लड्डो, सोमा पुत्री हरसहाय जाति मीना सा0 देह खातेदार	468 469	0.65 0.10
	किता 2	0.75 है0
मांगीलाल पुत्र जंगली जाति मीना सा0 देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाख बसवा मुर्तहीन	463 464 465 468	0.12 0.65 0.10 0.21
	किता 4	1.07 है0
मांगीलाल पुत्र जंगली जाति मीना सा0 देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाख बसवा मुर्तहीन	466 467	0.64 0.09
	किता 2	0.73 है0
रामकिशन, गिरिराज, जगदीश, कमल पि0 हरसहाय लड्डो, सोमा पुत्री हरसहाय, मांगीलाल पुत्र जंगली को रास्ता हेतु डोटेड लाईन में ख0 नं0 465, 466, 467, 468 मे होकर सभी खातेदारान को आने जाने हेतु संयुक्त खातेदारी में रास्तो के रूप में रहेंगी।	465 466 467 468	संयुक्त रूप से रास्ता हेतु 0.02 है0 भूमि रहेगी

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

प्राप्त कुरेजात पर वादी व प्रतिवादी द्वारा आपत्ति किये जाने पर पुनः विधिवत सुनवाई की जाकर रास्ता सबंधित आपत्ति का निस्तारण किया गया। तत्पश्चात कुर्रेजात वास्ते विचारार्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए। पत्रावली में पक्षकारान द्वारा कुर्रेजात पर प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण किया गया। अतः प्राप्त कुरेजात पर बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया जा कर गुणावगुण के आधार पर मनन किया जाकर प्राप्त कुर्रेजात के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बसवा कुर्रेजात में दिखाये गये डोटेड लाईन के रास्ते का पुख्ता रास्ते के रूप में अंकन करें। रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि सभी खातेदारों की शामलाती खातेदारी की रहेगी। पक्षकारान अपने अपने हिस्से मे आये खसरा नम्बर पर किसी प्रकार का कोई दखल एक दुसरे को नही देगा। इस बाबत उसे पाबंद किया जाता है। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 19.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद पूर्ति जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। –

19/3/18

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई